

इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 अगस्त 2025—श्रावण 27, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2025

क्र. 8016-138-इक्कीस-अ(प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 अगस्त 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 98 सन् २०२५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक - ३) अधिनियम, २०२५

। दिनांक १३ अगस्त, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अगस्त, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक - ३) अधिनियम, २०२५ है.

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए राज्य की संचित निधि में से रु. २३,५६,७६,८१,३६८ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो हजार तीन सौ छप्पन करोड़ उनयासी लाख इक्कासी हजार तीन सौ अठ्ठानवे होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारत	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
००३. गृह	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व ०	४००	४००
००६. वित्त		राजस्व ५,०७,१६,७७८	०	५,०७,१६,७७८
		पूंजी १,१६,२०,००,०००	०	१,१६,२०,००,०००
००८. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय		राजस्व १००	०	१००
		राजस्व ६८,८७,५०,४००	०	६८,८७,५०,४००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०१०. वन	राजस्व	६३,७५,२४,०२०	०	६३,७५,२४,०२०
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	६,२१,७६,६००	०	६,२१,७६,६००
०१४. पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	१,६७,००,०००	०	१,६७,००,०००
०१६. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	६,५६,२५,००,०००	०	६,५६,२५,००,०००
	पूंजी	६,४६,०५,००,०००	०	६,४६,०५,००,०००
०२२. नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	२०,००,००,१००	०	२०,००,००,१००
	पूंजी	१,५१,५१,००,२००	०	१,५१,५१,००,२००
०२३. जल संसाधन	पूंजी	०	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
०२४. लोक निर्माण कार्य	पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
०२६. संस्कृति	राजस्व	८००	०	८००
०२७. स्कूल शिक्षा	राजस्व	१००	०	१००
०२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	३००	०	३००
०२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१००	०	१००
०३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	२००	०	२००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व	१००	०	१००
०३२.	जनसंपर्क			
	राजस्व	५००	०	५००
०३३.	जनजातीय कार्य			
	राजस्व	२००	०	२००
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			
	राजस्व	२००	०	२००
०३६.	परिवहन			
	राजस्व	८००	०	८००
	पूंजी	१००	०	१००
०४४.	उच्च शिक्षा			
	पूंजी	५,००,००,०००	११,४३,००,०००	१६,४३,००,०००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
	राजस्व	३,३००	०	३,३००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार			
	राजस्व	१,१३,१५,००,०००	०	१,१३,१५,००,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	५००	०	५००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण			
	राजस्व	३०,००,००,४००	०	३०,००,००,४००
	पूंजी	१,४०,००,०००	०	१,४०,००,०००
०५३.	अल्प संख्यक कल्याण			
	राजस्व	१,२००	०	१,२००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
	राजस्व	६,००,००,०००	०	६,००,००,०००
	पूंजी	३०,००,०००	०	३०,००,०००
०५५. महिला एवं बाल विकास				
	राजस्व	५००	०	५००
	पूंजी	७,६२,००,१००	०	७,६२,००,१००
योग	राजस्व :	१०,०३,६८,८०,०६८	४००	१०,०३,६८,८०,४६८
	पूंजी :	१३,३१,३८,००,६००	२१,४३,००,०००	१३,५२,८१,००,६००
	वृहद् योग :	२३,३५,३६,८०,६६८	२१,४३,००,४००	२३,५६,७६,८१,३६८

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2025

क्र. 8016-138-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 2025

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) ACT, 2025

[Received the assent of the Governor on the 13th August, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th August, 2025.]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2025-2026.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

- Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2025.
- Issue of Rs. 23,56,79,81,398 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2025-2026.** 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Two thousand three hundred fifty six crore seventy nine lakh eighty one thousand three hundred ninety eight towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the Financial Year 2025-2026 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.
- Appropriation.** 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	400	400
003.	Home			
	Revenue	5,07,16,778	0	5,07,16,778
	Capital	1,19,20,00,000	0	1,19,20,00,000
006.	Finance			
	Revenue	100	0	100
008.	Expenditure On Land Revenue, District Administration and Disaster Relief.			
	Revenue	98,87,50,400	0	98,87,50,400

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
010.	Forest			
	Revenue	63,75,24,020	0	63,75,24,020
013.	Farmers Welfare and Agricultural Development.			
	Revenue	9,21,79,900	0	9,21,79,900
014.	Animal Husbandary and Dairying.			
	Revenue	1,67,00,000	0	1,67,00,000
019.	Public Health and Medical Education.			
	Revenue	6,56,25,00,000	0	6,56,25,00,000
	Capital	9,46,05,00,000	0	9,46,05,00,000
022.	Urban Development and Housing.			
	Revenue	20,00,00,100	0	20,00,00,100
	Capital	1,51,51,00,200	0	1,51,51,00,200
023.	Water Resources			
	Capital	0	10,00,00,000	10,00,00,000
024.	Public Works			
	Capital	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
026.	Culture			
	Revenue	800	0	800
027.	School Education			
	Revenue	100	0	100
028.	State Legislature			
	Revenue	300	0	300
029.	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	100	0	100
030.	Rural Development			
	Revenue	200	0	200
031.	Planning, Economics and Statistics.			
	Revenue	100	0	100
032.	Public Relations			
	Revenue	500	0	500
033.	Tribal Affairs			
	Revenue	200	0	200

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
035.	Micro, Small & Medium Enterprises.	Revenue	200	0	200
036.	Transport	Revenue	800	0	800
		Capital	100	0	100
044.	Higher Education	Capital	5,00, 00,000	11,43,00,000	16,43,00,000
046.	Science and Technology	Revenue	3,300	0	3,300
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.	Revenue	1,13,15,00,000	0	1,13,15,00,000
048.	Narmada Valley Development.	Revenue	100	0	100
		Capital	500	0	500
049.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	30,00,00,400	0	30,00,00,400
		Capital	1,40,00,000	0	1,40,00,000
053.	Minority Welfare	Revenue	1,200	0	1,200
054.	Backward Classes Welfare	Revenue	6,00,00,000	0	6,00,00,000
		Capital	30,00,000	0	30,00,000
055.	Women and Child Development.	Revenue	500	0	500
		Capital	7,92,00,100	0	7,92,00,100
Total { Revenue		—	10,03,98,80,098	400	10,03,98,80,498
Capital		—	13,31,38,00,900	21,43,00,000	13,52,81,00,900
Grand Total		—	23,35,36,80,998	21,43,00,400	23,56,79,81,398